संख्या-23/2017/524/26-3-2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक-10 मार्च, 2017

विषयः रिट याचिका संख्या-31042/2016 नेहा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के अन्तर्गत प्राप्त अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-5201/स0क0/ शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-03.02.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरांत उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-03.10.2016 के अनुपालन/संदर्भ में याची छात्रा की वर्ष 2015-16 में बी0टेक0 द्वितीय वर्ष की दशमोत्तर अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय पायी गयी धनराशि रूपया-75,000/-(रूपये पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रूपया-11,00,00,00,000/-(रूपये ग्यारह अरब मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या-77/2016/1201/26-3-2016-4(56)/96टी.सी. दिनांक-13.04.2016 द्वारा निर्गत कर निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव ।

पृ0 संख्या-23/2017/524(1)/26-3-2017तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
6- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in